भारतीय समाज में महिलाएँ

डॉ0 सीमा देवी
असिस्टेंट प्रोफेसर,राजनीति विज्ञानश्र
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर

कुलदीप
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर
Email : kuldeepsinghbhidanu@gmail.com

सारांश

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था मगर लोकतान्त्रिक शासन के लक्षण भारत में प्राचीन काल से ही मौजूद रहें हैं। लोकतन्त्र समानता के पक्ष पर बल देता है और भारत में महिला–पुरूष समानता के सन्दर्भ में लोकतन्त्र का यह लक्षण कभी उजागर तो कभी विलुप्त होता दिखाई देता है। भारतीय समाज में महिलाओं के स्थान को लेकर सदैव मतभेद रहा है। कभी उसे पूज्यनीय तो कभी सेविका के रूप में देखा जाता रहा है। महिलाओं के विरूद्ध अनेकों प्रकार के अपराध व उनका शोषण भारतीय समाज की पहचान बन चुकी है। मगर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, विशेषकर 90 के दशक के बाद से अनेक सरकारी व गैरसरकारी प्रयासों के कारण भारतीय समाज में महिलाओं की दशा सुधरती जा रही है। आज देश के सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरूषों के समान योगदान देने लगी हैं और इसका लाभ महिलाओं के साथ–साथ पुरूष वर्ग व देश–समाज को भी मिलने लगा है। आज सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों के पूरी गम्भीरता से लागू करके व पुरूषों को अपनी संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन करके महिलाओं व राष्ट्र को और भी सशक्त बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्दः *स्वतन्त्रता, महिलाएँ, सामाजिक, आर्थिक।*

प्रस्तावना

विश्व के किसी भी देश में शासन या सरकार का स्वरूप कुछ भी रहे मगर उस देश के विकास के लिए वहाँ की महिलाओं का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय होना आवश्यक माना जाता है और भारतीय समाज भी इस विचार से अछूता नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत में महिला को अपने आप में सम्पूर्ण माना जाता है। महिला के अन्दर सृष्टि के सृजन, पोषण व परिवर्तन की ताकत होती है। भारत में स्त्री प्राचीन काल से ही देवी माँ के विभिन्न रूपों में पूजनीय रही है जैसे पूर्वी भारत में दुर्गा और काली व केरल में महिषासुर और भगवती के रूप में।[1] स्त्री को शक्ति का प्रतीक मानते हुए उन सभी कार्यों में सक्षम माना जाता रहा है जिन्हे पुरूष करते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो महिलाएँ प्राप्त न कर पाई हों। माँ के रूप वे अनन्त से ही दुनियाँ के भावी नागरिकों को जन्म देने और पालन–पोषण का

काम जिम्मेदारी से करती आयी हैं। बहनों, बेटियों व पत्नियों के रूप में उन्होने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पुरूष का साथ दिया है। आधुनिक समाज में वे शिक्षक, डाक्टर, प्रबन्धक, राजनेता आदि की भूमिका निभा रहीं हैं। पिछले कुछ समय में तो उन्होने लैंगिक बाधाओं को भी पार करते हुए पर्वतारोही, पायलट व सैनिक की भूमिका भी बखूबी निभाई है।[2]

हालांकि, यह तस्वीर का एक पहलू है क्योंकि दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति (विशेषकर भारत में) चुनौतीपूर्ण है। समाज व परिवार के फैसलें में भूमिका की बात तो दूर, वे अपनी जिंदगी जीने के लिए भी आवाज नहीं उठा पाती हैं। महिलाएँ अपनी जिंदगी में पुरूषों के अधीन रही हैं और उनकी आकांक्षाओं को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था कि उसे प्रोत्साहित किया जाये। माँ, पत्नी और बेटी के रूप में उनकी जिम्मेदारी बांध दी जाती थी और उन जिम्मेदारियों को निभाने में उन्हे अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था और आज भी करना पड़ रहा है। प्रत्येक देश की आधी आबादी होने के बावजूद आज भी यह विडम्बना है कि महिलाओं को समाज में वह स्थान नहीं मिल सका जिसकी वे हकदार थी। उनकी स्थिति सदैव विरोधाभासी ही रही है। एक तरफ उन्हें शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है तो दूसरी और उनके विरूद्ध अपराध और हिंसक घटनाएं की जाती हैं। इन दोनों ही विचारों की अतिवादिता ने महिलाओं के स्वतन्त्र विकास में बाँधा पहुचाई है। एक बार **स्वामी विवेकानन्द** ने महिलाओं के विषय में कहा था कि **'किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहाँ की महिलाओं की स्थिति होती है।'**[3] अगर स्वामी जी के इस विचार से वर्तमान विश्व को देखा जाये तो हम पाएँगे की बहुत ही कम समाज प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहें हैं।

आज भारत की कुल आबादी में भी महिलाओं की संख्या लगभग 48 प्रतिशत है। और इस 48 प्रतिशत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। आज देश में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति व आर्थिक–राजनीतिक अवसरों की प्राप्ति में पुरूषों से बहुत पीछे हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ जन्म से लेकर मष्त्यु तक उत्पीड़न व हिंसा की घटनाएं आम बात है। भ्रूण हत्या करना व सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं को कई तरीकों से प्रतिबन्धित करना वर्तमान समाज की विशेषता सी बन गई है। लगभग देश के प्रत्येक हिस्से से आने वाली खबरों में महिला यौन शोषण की अधिकता पायी जाने लगी है। सबसे दुखद तो यह है कि इन हमलों की शिकार वृद्ध से लेकर छोटी बच्चियों तक होती हैं।[4]

भारत की आजादी के बाद के 70 सालों में देश ने जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगति की है उस प्रगति में महिलाओं का योगदान किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं रहा है। मगर महिलाओं को पुरूषों के बराबर अधिकार दिलाने का महात्मा गांधी का सपना आज भी अधूरा है। समाज में आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। देश में **कन्या भ्रूण हत्या**, झूठी शान की खातिर महिलाओं मारना और बलात्कार की घटनाएँ आज भी जारी हैं। पोषण और शिक्षा के मामले में भी लड़कियों का स्तर लड़को से नीचे है। यहाँ तक की महिलाओं का घर से बाहर जाकर काम करने का फैसला भी स्वयं उनका न होकर उनके

परिवार का होता है।

मगर अब धीरे–धीरे भारतीय समाज में महिलाओं की तस्वीर बदल रहीं है। राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता ने ऐसे वातावरण का निमार्ण कर दिया है जिसमें महिलाएं अपने को कुछ स्वतन्त्र व सुरक्षित महसूस कर पा रहीं हैं। महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न उपबन्धों, अधिनियमों व सरकारी व गैरसरकारी योजनाओं ने उनके लिए जहां शिक्षा के नये अवसर प्रदान किये हैं वहीं रोजगार के क्षेत्र भी बढ़ायें हैं। आज प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की क्षमता को स्वीकार किया जाने लगा है जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। आधुनिक महिला अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। महिलाएं हर तरह से अपनी क्षमता व उपयोगिता को दर्शाने लगी हैं। साथ ही, वे घर और कार्य स्थल दोनों जगहों पर लैगिंक समानता व न्याय के लिए आवाज उठाने लगी हैं। उन्होने अपने सम्मुख आने वाली शारीरिक व सामाजिक बाधाँओं को पार करतें हुए तकनीक, सेना, अंतरिक्ष, राजनीति व खेल जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति nt Zdjk, hgSA[5]

यह एक दुखद सत्य है कि केवल भारत ही नहीं अपितु दुनियाँ के अधिकाशं देशों में महिलाएं भेदभाव का शिकार होती आयी हैं। सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से उन्हे वंचित और दूर रखने का प्रयास किया जाता है। इसका कारण पितृसत्ता का प्रचलन माना जाता है। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पुरूषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है और संसाधनों व निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पुरूषों का नियन्त्रण होता है। अर्थात यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं को दबाना, शोषित करना व पुरूषों को महिलाओं पर हावी होना सिखाया जाता है।[6] भारत में पुरूष प्रधान या पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मूल हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों को माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि **पति पतित हो, रोगी हो, दुष्ट हो, गरीब हो, बुद्धिहीन हो, बूढ़ा हो या जवान;** सभी रूपों में स्त्री को उसकी सेवा करनी चाहिए।[7] हमारे आस पड़ोस या घरों में भी जब बूढ़ी औरते आशीर्वाद देते हुए अपने से कम उम्र की औरतों को कहती है कि सदा सुहागन रहों अर्थात मरने तक अपने पति की सेवा करो। अपने विषय में कुछ न सोचों। **मनु** ने भी एक स्थान पर कहा है कि **'एक स्त्री को बाल्यवस्था में अपने पिता के अधीन, युवा अवस्था में अपने पति के अधीन और जब पति मर जाए तो पुत्रों के अधीन रहना चाहिए।'**[8] इसका अभिप्राय यह है कि एक स्त्री को सदैव पुरूषों के अधीन रहना चाहिए। नारी को होश सम्भालते ही यह समझा दिया जाता है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य केवल पति की सेवा करना है। इसका परिणाम यह होता है कि महिला अपने आप को मात्र एक सेवक समझने लग जाती है। माँ, बहन, पत्नी के रूप में उसकी भूमिका निश्चित कर दी जाती है जिससे वह अपनी बाकी भूमिकाओं को सफलतापूर्वक नहीं निभा पाती। परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को अयोग्य समझने लग जाती है और सामाजिक जीवन में वह योगदान नहीं दे पाती जो उसे देना चाहिए। और यदि समाज के आधें हिस्से को बनाने वाली यह परतन्त्र सोच आजाद नहीं की गयी और इसे सही दिशा नहीं दी गयी तो राष्ट्र को प्रगति के पथ पर चलाना आसान नहीं होगा।[9] पुरूषों व समाज के लिए

महिलाओं की महत्ता पर बल देते हुए **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा था कि **'महिलाओं का विकास किए बगैर विश्व का विकास सम्भव नहीं हैं। जिस प्रकार एक पंख से उड़ना पंक्षी के लिए सम्भव नहीं है उसी प्रकार महिलाओं को साथ लिए बिना पुरूष भी अपना विकास नहीं कर सकते हैं।'**[10]

यह तो तय है कि जब तक महिलाओं को बिना रोकटोक के अपने फैसले स्वयं लेने और स्वयं को पुरूषों के बराबर मानने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता तब तक किसी भी समाज को उन्नत समाज के रूप में नहीं बदला जा सकता है। इसी आधार को बल देने के लिए भारतीय संविधान समानता के अधिकार तथा लैंगिक आधार पर भेदभाव न होने के अधिकार को लागू करने का प्रयास करता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही व्याप्त स्त्री–पुरूष भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है जिससे महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में बदलाव आ रहें है और इन्ही बदलावों को वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की संज्ञा दी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता से लगाया जाता है। इसके लक्ष्यों में, महिलाओं में ऐसी क्षमता का विकास करना है जिससे वे अपने जीवन के फैसले स्वयं की इच्छा से ले सकें और उनके अन्दर आत्मविश्वास व स्वाभिमान जागृत हो सके। महिला सशक्तिकरण महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व पर बल देता है और इसी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ही भारतीय संविधान में विभिन्न क्षेत्रों में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। महिला आन्दोलनों व सरकारी व सामाजिक संगठनों की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में महिलाओं की स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव आ रहें हैं। इन बदलावों से केवल महिलाओं को ही नहीं अपितु पुरूषों व समाज को भी लाभ हो रहा है। शायद इसी लिए **महात्मा गाँधी** ने कहा था कि **'अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना मिल जाये तो कितनी खुशी होगी। भारत की महिलाएं वही खजाना हैं। महिला शक्ति सुस्त पड़ी है अगर भारत की महिलाएं जाग जाऐ तो वे विश्व को चकाचौध कर देगी।'**[11] और आज सम्पूर्ण विश्व भारत की इन महिलाओं के कार्यों से प्रेरित भी हो रहा है।

समाज में स्त्री व उसकी शिक्षा पर बल देते हुए **डॉ0 अम्बेडकर** ने कहा था कि **'समाज निर्माण में स्त्री का बहुत योगदान है। जिस घर में महिला शिक्षित हो, उनके बच्चे सदा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगें।'**[12] जब हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो हम एक परिवार को साक्षर करते है। वैसे तो यह बात सम्पूर्ण विश्व के सन्दर्भ में काफी सीमा तक सही भी है मगर भारतीय महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण तब तक सम्भव नहीं है जब तक उन्हे आर्थिक स्तर पर सशक्त नहीं किया जाता। इतिहास के विभिन्न कालों में भारतीय महिलाएं आर्थिक रूप से सदा पुरूषों पर निर्भर रही हैं और यही मानसिकता आज भी समाज में कम या ज्यादा देखी जा सकती है।

महिलाओं के प्रति पुरूष की मानसिकता को बदलने के लिए और उनका सामाजिक,

आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से 1993 में महिला आयोग व मार्च 2010 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया। इसी सन्दर्भ में कई सरकारी व गैरसकारी प्रयास किये गये और सभी का उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक–आर्थिक मजबूती व नीति निर्माण में उनकी भूमिका को बढ़ाना था। ऐसे ही प्रयासो के फलस्वरूप आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में हर बाँधा को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आज निजी क्षेत्र की कुल कम्पनियों में कुल वर्कफोर्स की 24.5 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की यह भागीदारी लगभग 17.9 प्रतिशत है।[13] कई ऐसे क्षेत्र जिनमें केवल पुरूषों का एकाधिकार था, वहां महिलाएं अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही हैं। नई पीढ़ी की कामकाजी महिलाएं महत्वकाक्षी भी हैं और साहसी भी। इसी कारण से अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं की पहुँच से दूर नहीं है।

1950 के बाद से सभी सरकारों ने महिला विकास के लिए अनेक कदम उठाए, जो आज भी जारी हैं। इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सरकार के तमाम प्रयासों ने महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया है लेकिन अभी उस सुधार की कमी खलती है जो वास्तविकता के धरातल पर महिला पुरूष को बराबर कर सके। इसलिए अब सरकार को नए–नए कानून बनाने के स्थान पर यह सुनिश्चित करने कि आवश्यकता है कि कैसे उपलब्ध कानूनों का सही क्रियान्वयन किया जाये ताकि महिलाएं अपने उन संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठा पाये जो संविधान ने उन्हे दिये है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 योजना पत्रिका, अक्टूबर 2018, पृ0सं0–**07**
2 योजना पत्रिका, सितम्बर 2016, पृ0सं0–**07**
3 योजना पत्रिका, सितम्बर 2016, पृ0सं0–**47**
4 कुरूक्षेत्र पत्रिका, मार्च 2015, पृ0सं0–**08**
5 योजना पत्रिका, अक्टूबर 2018, पृ0सं0–**07**
6 शुभ्रा परमार, *'नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार'*, ओरियंट ब्लैकस्वान प्रकाशन, नई दिल्ली 2015, पृ0सं0 **4–5**
7 महिपाल, *'पंचायत में महिलाये'*, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली 2017, पृ0सं0–**29**
8 बी0 आर0 अम्बेडकर,'हिन्दू नारी का उत्थान और पतन', शीलप्रिय बौद्ध, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली 2013, पृ0सं0–**8**
9 कुरूक्षेत्र पत्रिका, अक्टूबर 2010, पृ0सं0–**35**
10 योजना पत्रिका, सितम्बर 2016, पृ0सं0–**07**
11 कुरूक्षेत्र पत्रिका, जुलाई 2018, पृ0सं0–**37**
12 महिपाल, *'पंचायत में महिलाये',* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली 2017, पेज–प्रस्तावना से
13 कुरूक्षेत्र पत्रिका, जनवरी 2016, पृ0सं0–**22**